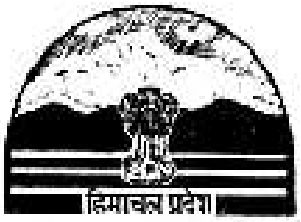

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 19 फरवरी, 2009 / 30 माघ, 1930

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 19 फरवरी, 2009

संख्या वि0 स0–लैज–गवर्नमैंट बिल / 1–12 / 2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 19 फरवरी, 2009 को हिमाचल प्रदेश

विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2009 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

धारा 3 का प्रतिस्थापन।

1972 का 9

2. हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"**3. युद्ध जागीरों का सृजन.**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार को किसी पात्र व्यक्ति को प्रतिवर्ष दो हजार रुपए के मूल्य की युद्ध जागीर प्रदान करने की शक्ति होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 उन बच्चों, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 अक्तूबर, 1962 और 3 दिसम्बर, 1971 को घोषित राष्ट्रीय आपात के दौरान सशस्त्र बलों में सेवा की है, के माता–पिता को 900 / –रुपए प्रतिवर्ष के मूल्य की युद्ध जागीर देने और उन बच्चों, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महामहिम (हिज मजेस्टी) के बलों में भर्ती किए गए थे या कमीशन्ड किए गए थे, के माता–पिता को 600 / – रुपए प्रतिवर्ष के मूल्य की युद्ध जागीर देने का उपबन्ध करती है । जहां तीन से अधिक बच्चों ने सेवा की है या सेवा कर रहे हैं, उस दशा में, क्रमशः प्रतिवर्ष 300 / – रुपए और 60 / – रुपए की अतिरिक्त रकम, ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए संदत्त की जा रही है। कीमतों में अत्याधिक वृद्धि हुई है, इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों के लिए, बच्चों की संख्या के आधार पर भेदभाव किए बिना, युद्ध जागीर की रकम / मूल्य को बढ़ाकर 2000 / – रुपए प्रतिवर्ष करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रो0 प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2009

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 के अधीन समस्त पात्र व्यक्तियों के लिए बच्चों की संख्या के आधार पर भेदभाव किए बिना, युद्ध जागीर के मूल्य को बढ़ाकर दो हजार रुपए प्रतिवर्ष करने के लिए उपबन्ध करता है। प्रस्तावित बढ़ौतरी के कारण प्राक्कलित व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्वोक्त अनुदान के लिए आवेदकों की संख्या समय–समय पर बदलती रहती है। तथापि, यदि पुरस्कृतों की वर्तमान संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 20,17,400 / – रुपए (बीस लाख सतरह हजार चार सौ रुपए) का अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित होगा।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

– शून्य–

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः एस.डब्ल्यू.डी.(एफ) 4–9 / 2006)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2009 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT) BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No.9 of 1972).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Act, 2009.

Substitution of section 3.

2. For section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972, (9 of 1972) the following section shall be substituted, namely:—

"3. *Creation of War Jagirs.*—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government shall have the power to grant to an eligible person a War Jagir of the value of two thousand rupees per annum.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 provides for the grant of War Jagirs of the value of Rs. 900/- per annum to the parents whose children have served in the Armed Forces during the National Emergency declared by the President of India under article 352 of the Constitution of India on 26th October, 1962 and 3rd December, 1971 and the grant of War Jagir of the value of Rs. 600/- per annum to the parents whose children were enrolled or commissioned for service in His Majesty's Forces during the Second World War. In the case where more than three children have served or are serving, an additional amount of Rs. 300/- and Rs. 60/- per annum is respectively being paid for every such additional child. Further, there has been steep rise in prices. It has, therefore, been decided to enhance the value of War Jagir to Rs. 2,000/- per annum for all the eligible persons without any distinction on the basis of number of children.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(PROF. PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla :

The....., 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to make the provision for the increase the value of War Jagir payable under the Himachal Pradesh War Awards Act. 1972 to 2,000/- per annum for all the eligible persons without any distinction on the basis of number of children. The estimated expenditure due to proposed increase can not be assessed as the number of the applicants for the aforesaid grant continues to vary from time to time. However, if there is no increase in the present number of awardees the additional expenditure involved would be Rs. 20,17,400/- per annum approximately from the State Ex-chequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUION OF INDIA

(FILE NO. SWD-(F)4-9/2006)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Bill, 2009 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।